



मथुरा पुलिस



दिनांक -17.01.2026

OPERATION CONVICTION

थाना नौहझील

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 55,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश भर में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा निरन्तर समीक्षा एवं मार्ग दर्शन दिया जा रहा था । मथुरा पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना नौहझील जनपद मथुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 278/2020 धारा 376/506 आईपीसी व 06 पोक्सो एक्ट में आज दिनांक 17.01.2026 को माननीय न्यायालय पोक्सो-02 जनपद मथुरा द्वारा इस प्रकरण में विचरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त हमवीर उर्फ हाबूडा पुत्र हरवंश निवासी नौशेरपुर थाना नौहझील जनपद मथुरा को आजीवन कारावास एवं 55,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

घटना क्रम---दिनांक 04.08.2020 को थाना नौहझील पर पंजीकृत मु0अ0सं0 278/2020 धारा 376/506 आईपीसी व 06 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त हमवीर उर्फ हाबूडा पुत्र हरवंश निवासी नौशेरपुर जनपद मथुरा द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने एवं जान से मारने की धमकी देने की जघन्य घटना कारित की थी । इस जघन्य अपराध में भौतिक/वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किये गये एवं आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में मथुरा पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।



श्री रामपाल सिंह ADGC,
मथुरा



निरीक्षक श्री राजेश कुमार
शर्मा (विवेचक)



पैरोकार/है0का0 विनेश कुमार,
थाना नौहझील मथुरा ।